भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2515

दिनांक 06 अगस्त, 2024 के लिए प्रश्न

डेयरी कृषि

2515. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री संजय दीना पाटिल:
श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री अमर शरदराव काले:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश में पशुपालन और डेयरी कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पशुपालन और डेयरी कृषि में नवीनतम पद्धतियों और तकनीकों की बेहतर समझ प्राप्त करने में किसानों की सहायता करने के संबंध में कार्यक्रम तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित देश के सभी गांवों में सतत डेयरी फार्मिंग के विकास के लिए कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों को राज्य-वार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमशीलता और बेरोजगार युवाओं के लिए आजीविका के बेहतर अवसरों तथा मुर्गी पालन, भेड़, वकरी, सुअर पालन, आहार और चारा क्षेत्र में पशुधन पालन के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग महाराष्ट्र राज्य सहित देश में पशुपालन और डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। योजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध ।** में दिया गया है।

I. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम),
II. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी),
III. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)*,
IV. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ)
V. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम),
VI. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)*
VII. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएच और डीसीपी)
VIII. पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (एलसी और आईएसएस)

* *नीति आयोग और व्यय विभाग की सिफारिश के आधार पर, डीआईडीएफ और एएचआईडीएफ को डीएएचडी की अवसंरचना विकास निधि (आईडीएफ) योजना के तहत विलय कर दिया गया है।*

(ख) किसानों को पशुपालन और डेयरी फार्मिंग की नवीनतम पद्धतियों और तकनीकों की बेहतर समझ हासिल करने और इस प्रकार उनकी आजीविका में सुधार करने में उनकी सहायता करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग पूरे देश के सभी गांवों में निम्नलिखित योजनाएं लागू कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय गोकुल मिशन: राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के घटकों में से एक किसान जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना है, जिसमें प्रजनन शिविर, दूध उत्पादन प्रतियोगिता, बछड़ों की रैलियां और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। नवीनतम प्रजनन तकनीकों को किसानों के लिए सुलभ बनाया जा रहा है, जिसमें सेक्स-सॉर्टेड वीर्य के साथ कृत्रिम गर्भाधान (एआई), बोवाइन इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ), और जीनोमिक चयन शामिल हैं।

(ii) राष्ट्रीय पशुधन मिशन: योजना के उप-मिशनों में से एक उप-मिशन नवाचार और विस्तार है। इस घटक के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पशुपालकों/समूहों, प्रजनक संघों के लिए सेमिनार, कार्यशाला, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण संबंधी आयोजनों के लिए, पशुपालन से संबंधित प्रचार कार्यकलापों, किसान फील्ड स्कूल के संचालन, किसानों के लिए प्रदर्शन दौरों, प्रदर्शन कार्यकलापों, सोशल मीडिया और ऑडियो विजुअल समर्थन आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए विस्तार सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत भेड़, बकरियों और सूअरों में कृत्रिम गर्भाधान जैसी नवीनतम तकनीक को बढ़ावा दिया जाता है।

(iii) सहकारी डेयरी क्षेत्र में दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए डेयरी अवसंरचना का निर्माण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

(iv) राज्य डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता: इस योजना के तहत डेयरी सहकारी समितियों और डेयरी में लगे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन के रूप में एकमुश्त सहायता शुरू की गई है।

(v) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम को खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रूसेलोसिस जैसे पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करने और पशुओं के अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए लागू किया जा रहा है। किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए योजना के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की गई हैं। इस योजना के तहत जागरूकता पैदा करने के लिए और प्रचार-प्रसार के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(vi) पशुपालन और डेयरी विभाग, डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन सुविधाओं, चारा विनिर्माण, वैक्सीन और औषधि उत्पादन इकाइयों, पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन, नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 15000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) लागू कर रहा है।

(vii) पहली बार सरकार ने पशुपालन करने वाले किसानों और मत्स्यपालन करने वाले किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का विस्तार किया है, जिसमें किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिसमें स्वामित्व वाले/किराए पर/पट्टे पर शेड वाले किरायेदार किसान शामिल हैं, इस योजना के तहत प्रोत्साहन पाने के लिए पात्र हैं।

(viii) किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग ने “ए हेल्प” (स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) को शामिल किया है। ए-हेल्प, स्थानीय पशुधन संसाधन व्यक्ति और पशुपालकों तथा पशु चिकित्सा सेवाओं के बीच एक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अलावा, किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा मैत्री (ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियन) को शामिल किया जा रहा है। मैत्री, पशु टीकाकरण, प्राथमिक उपचार, पशु पोषण सलाह और किसानों को जागरूक करने संबंधी कार्य भी देख रहे हैं।

ग) पशुपालन और डेयरी विभाग महाराष्ट्र सहित देश के सभी गांवों में डेयरी कृषि और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

i. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)

ii. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)

iii.डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (अब पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) में शामिल

iv. राज्य डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन (एसडीसीएफपीओ) को सहायता

v. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

vi. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)

vii. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी)

पहली बार सरकार ने पशुपालन और मत्स्यपालन करने वाले किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा प्रदान की है, जिसमें किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिनमें किरायेदार किसान शामिल हैं, जिनके पास स्वामित्व / किराए पर / पट्टे पर शेड हैं, योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(घ) विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों को प्रदान की गई कुल निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ) केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम नामक एक कार्यकलाप गतिविधि है जिसके तहत केंद्र सरकार भेड़, बकरी, पोल्ट्री, सुअर पालन, आहार और चारा उद्यमिता की स्थापना के लिए 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। उद्यमिता कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं और किसानों को आजीविका कमाने में मदद कर रहा है।

***

अनुबंध-I

उत्तर के भाग (ए) में संदर्भित योजनाओं का विवरण

I. राष्ट्रीय गोकुल मिशन: पशुपालन को आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार राजस्थान और झारखंड सहित पूरे देश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) योजना लागू कर रही है। इसका उद्देश्य देशी नस्लों का विकास और संरक्षण, बोवाईन आबादी का आनुवंशिक उन्नयन और दूध उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिससे डेयरी को किसानों के लिए अधिक लाभदायक बनाया जा सके।

II. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी): पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) फरवरी-2014 से राजस्थान और झारखंड सहित पूरे देश में "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" योजना लागू कर रहा है। इस योजना को जुलाई 2021 में निम्नलिखित दो घटकों के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक लागू करने के लिए पुनर्गठित/पुनर्संरेखित किया गया है:

(i) एनपीडीडी का घटक "क" गुणवत्ता वाली दूध परीक्षण मशीनों के साथ-साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

(ii) एनपीडीडी योजना के घटक 'ख' "सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।

III. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ): पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने डीएएचडी द्वारा जारी योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार दूध प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित उत्पाद विनिर्माण अवसंरचना के निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए ऋण पर 2.5% की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करने के लिए डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) योजना लागू की है। दिनांक 01.02.2024 को, भारत सरकार ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) और डीआईडीएफ योजनाओं का विलय कर दिया। इस कार्यान्वयन को भी 29,110.25 करोड़ रुपये की निधियों के साथ अगले तीन वर्षों (2024-26) के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना मांग आधारित है और इसलिए, कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है।

IV. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ): यह योजना वर्ष 2017-18 के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण संकट से उबरने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करके सहायता प्रदान करना है।

अस्थायी रूप से, **घटक "क"** अर्थात "कार्यशील पूंजीगत ऋण" को वर्ष 2020-21 से निलंबित रखा गया है।

डेयरी क्षेत्र पर कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव के कारण, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए 203 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ **घटक "ख"** के रूप में एक नया घटक **"डेयरी क्षेत्र**

के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन" शुरू किया है। **इस प्रकार योजना का वास्तविक कार्यान्वयन वर्ष 2020-21 के दौरान शुरू हुआ।**

वित्तीय सहायता का पैटर्न: योजना के घटक "ख" के तहत, उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों (पीओआई) को कार्यशील पूंजीगत ऋण पर 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, शीघ्र और समय पर भुगतान करने पर, ऋण चुकौती/ब्याज सेवा अवधि के अंत में अतिरिक्त 2% प्रति वर्ष ब्याज सबवेंशन देय है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपये अर्थात प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक एकछत्र योजना **"अवसंरचना विकास निधि"** के एक भाग के रूप में केंद्रीय क्षेत्र की योजना **'डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ)'** के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया। इसके अलावा, मंत्रिमंडल के दिनांक 01.02.2024 के निर्णय के अनुसार, यह अनुमोदित किया गया है कि एसडीसीएफपीओ का कार्यान्वयन स्वीकृत परिव्यय (अर्थात वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 500 करोड़ रुपये) के भीतर आईडीएफ के एक घटक के रूप में जारी रहेगा।

V. राष्ट्रीय पशुधन मिशन: केंद्र सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) लागू कर रही है। यह योजना राजस्थान और झारखंड सहित पूरे देश में लागू की जा रही है। इस योजना के तीन उप-मिशन हैं जो इस प्रकार हैं:

1. पशुधन और कुक्कुट पालन का नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन
2. आहार एवं चारा विकास संबंधी उप-मिशन
3. नवाचार, विस्तार संबंधी उप-मिशन

पशुधन और कुक्कुट पालन का नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन के तहत, उद्यमिता विकास कार्यक्रम संबंधी कार्यकलाप जिसमें केंद्र सरकार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सुअर पालन और आहार एवं चारा फ़ार्म की स्थापना के लिए 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह कार्यकलाप किसानों की आय सृजित करने में मदद करता है।

VI. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के तहत पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण द्वारा पशु स्वास्थ्य के जोखिम को कम करने और पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के जरिए पशुधन स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने में सहायता की जाती है जिसका पशुपालन को बढ़ावा देने पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। समर्थित प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं, 100% केंद्रीय सहायता से खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), ब्रूसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर (सीएसएफ) के लिए टीकाकरण, केंद्र और राज्य के बीच 60:40; पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% निधियन पैटर्न के साथ राज्य की प्राथमिकता वाले आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों के नियंत्रण हेतु पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता (एएससीएडी)। इसके अलावा, पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी-एमवीयू) घटक के तहत, टोल-फ्री नंबर (1962) के माध्यम से किसानों के द्वार पर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों

(एमवीयू) के माध्यम से पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 60% और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% के अनुपात में आवर्ती परिचालन व्यय के साथ मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद और अनुकूलन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; जिसमें रोग निदान, उपचार, टीकाकरण, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप, ऑडियो-विजुअल सहायता और विस्तार सेवाएं शामिल हैं।

VII. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि: आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत, माननीय प्रधान मंत्री ने 15000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) की स्थापना की घोषणा की थी। एएचआईडीएफ, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), निजी कंपनियों, व्यक्तिगत उद्यमियों, धारा 8 कंपनियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, पशु आहार संयंत्र, नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल वृद्धि फार्म के लिए अवसंरचना की स्थापना, पशु चिकित्सा वैक्सीन और औषधि उत्पादन सुविधाओं की स्थापना और पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) की स्थापना में निवेश की सुविधा प्रदान करता है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार उधारकर्ता को 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन और कुल उधार के 25 प्रतिशत तक ऋण गारंटी प्रदान करती है।

VIII. पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

i. **पशुधन संगणना-** पहली पशुधन संगणना वर्ष 1919-1920 के दौरान की गई थी और तब से यह भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित की जा रही है। यह एकमात्र स्रोत है, जो पशुओं और पोल्ट्री पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में अलग-अलग जानकारी प्रदान करता है।

ii. **एकीकृत नमूना सर्वेक्षण-** यह योजना पूरे देश में पशुधन उत्पादों जैसे दूध, अंडा, मांस और ऊन का अनुमान लगाने के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत, अनुमान प्रतिवर्ष जारी किये जाते हैं जिनका उपयोग नीति और योजनागत उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

अनुबंध-II

उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कुल निधि का ब्यौरा

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22 जारी की गई निधियां	2022-23 जारी की गई निधियां	2023-24 जारी की गई निधियां	20'24-25 जारी की गई निधियां	जारी की गई कुल निधियां
राज्य						
1	आंध्र प्रदेश	5652.385	1546.00	3538.38		10736.77
2	अरुणाचल प्रदेश	397.08	467.16	1965.31		2829.55
3	असम	227.97	3301.78	0.00		3529.75
4	बिहार	1048.14	4928.63	0.00		5976.77
5	छत्तीसगढ़	841.65	402.00	0.00		1243.65
6	गोवा		0.00	0.00		0.00
7	गुजरात	2735.311	0.00	3500.00		6235.31
8	हरियाणा	305.44	0.00	0.00		305.44
9	हिमाचल प्रदेश	5586.58	0.00	0.00		5586.58
10	जम्मू और कश्मीर	1533.93	2539.35	0.00	1996.70	6069.98
11	झारखंड	2244.525	1500.00	0.00		3744.53
12	कर्नाटक	1996.46	2708.75	2651.31		7356.52
13	केरल	314	1284.12	6546.27		8144.39
14	मध्य प्रदेश	6024.963	8937.43	4903.00		19865.39
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	3261.50		3261.50
16	मणिपुर	294.98	166.69	0.00		461.67
17	मेघालय	738.21	0.00	0.00		738.21
18	मिजोरम	154.11	138.69	847.37		1140.17
19	नागालैंड	494.7	608.86	466.20		1569.76
20	ओडीशा	3480.425	1374.25	0.00		4854.67
21	पंजाब		0.00	0.00		0.00
22	राजस्थान	2254.77	0.00	0.00		2254.77
23	सिक्किम	268.78	572.42	1097.87		1939.07
24	तमिलनाडु	2663	3347.00	10996.05		17006.05
25	तेलंगाना	2439.76	0.00	3153.13		5592.89
26	त्रिपुरा	2524.17	0.00	0.00		2524.17
27	उत्तर प्रदेश	2941.36	7671.25	9642.18		20254.79

28	उत्तराखंड	2115.44	1885.75	6082.00		10083.19
29	पश्चिम बंगाल	1213.371	2037.35	6500.00		9750.72
	कुल	**50491.51**	**45417.48**	**65150.57**	**1996.70**	**163056.26**
संघ राज्य क्षेत्र						
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00		0.00
2	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00		0.00
3	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00		0.00
4	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00		0.00
5	दिल्ली	0.00	0.00	0.00		0.00
6	लद्दाख	0.00	0.00	0.00		0.00
7	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00		0.00
8	पुडुचेरी	144.44	0.00	0.00		144.44
	कुल	**144.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144.44**

2. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**ब्याज सबवेंशन करोड़ में (2021-22)**	**ब्याज सबवेंशन करोड़ में (2022-23)**	**ब्याज सबवेंशन करोड़ में (2023-24)**	**ब्याज सबवेंशन करोड़ में (2024-25)**
1	आंध्र प्रदेश	0.04	0.92	2.95	0.46
2	असम	0.14	0.07	0.90	0.62
3	बिहार	1.51	0.03	8.18	0.89
4	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.10	0.32	3.33	0.52
6	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	0.00	0.42	0.64	0.44
9	हरियाणा	0.95	0.18	3.62	2.69
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.11	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.02	0.00
12	झारखंड	0.00	0.19	1.80	0.39

13	कर्नाटक	2.05	1.64	7.41	6.58
14	केरल	0.00	0.02	0.17	0.00
15	मध्य प्रदेश	0.07	1.29	9.37	6.21
16	महाराष्ट्र	3.15	3.44	22.31	2.01
17	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
18	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
19	ओडिशा	0.20	0.18	0.92	1.12
20	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	2.25	2.41	3.04	0.43

3. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	आंध्र प्रदेश	2981.675	6009.28	1260.00	
2	बिहार				
3	छत्तीसगढ़	297.22		75.00	
4	गोवा				
5	गुजरात			155.00	
6	हरियाणा	0		407.50	400
7	हिमाचल प्रदेश				
8	जम्मू और कश्मीर				
9	झारखंड			64.00	
10	कर्नाटक	970.49		250.00	
11	केरल	0	0.00	0.00	
12	मध्य प्रदेश	620.965		350.00	250
13	महाराष्ट्र		0.00	65.00	
14	ओडिशा		446.00		
15	पंजाब		369.66		
16	राजस्थान				
17	तमिलनाडु	0			
18	तेलंगाना	542.76			
19	उत्तर प्रदेश	0		100.00	200
20	उत्तराखंड	867.66	0.00	198.48	162.5
21	पश्चिम बंगाल		296.63		

उत्तर पूर्वी राज्य					
22	अरुणाचल प्रदेश		261.85	473.70	
23	असम				
24	मणिपुर	784.69			
25	मेघालय	997.43			
26	मिजोरम			201.99	
27	नागालैंड	809.76		50.00	
28	सिक्किम		93.21	93.21	
29	त्रिपुरा	0		183.47	
विधानमंडल के साथ और विधानमंडल के बिना संघ राज्य क्षेत्र					
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				
31	चंडीगढ़				
32	दादरा और नगर हवेली				
33	दमन और दीव				
34	दिल्ली				
35	जम्मू और कश्मीर	1287.0175	675.35	0.00	62.5
36	लक्षद्वीप				
37	पुडुचेरी				
38	लद्दाख		308.295		

4. पशुधन स्वास्थ्य (एलएच)

वित्तीय वर्ष 2021-22 (लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्यों	एनएडीसीपी	एलएचऔरडीसी	कुल एलएचऔरडीसीपी
1	आंध्र प्रदेश	0.00	5440.00	5440.00
2	अरुणाचल प्रदेश	798.70	400.00	1198.70
3	असम	42.77	3148.64	3191.41
4	बिहार	0.00	4912.00	4912.00
5	छत्तीसगढ़	119.64	3200.38	3320.02
6	गोवा	0.00	20.00	20.00
7	गुजरात	0.00	889.00	889.00
8	हरियाणा	0.00	1120.00	1120.00
9	हिमाचल प्रदेश	36.30	704.00	740.30
10	जम्मू और कश्मीर	225.10	1703.00	1928.10
11	झारखंड	0.00	3776.00	3776.00
12	कर्नाटक	188.48	4400.00	4588.48
13	केरल (एनएडीआरएस)	0.00	468.50	468.50
14	मध्य प्रदेश	0.00	6496.00	6496.00
15	महाराष्ट्र	80.50	2582.53	2663.03
16	मणिपुर	65.80	926.22	992.02

17	मेघालय	23.41	709.00	732.41
18	मिजोरम	133.06	1000.97	1134.03
19	नागालैंड	64.25	256.00	320.25
20	ओडिशा	0.00	2896.00	2896.00
21	पंजाब	0.00	1120.00	1120.00
22	राजस्थान	0.00	10428.53	10428.53
23	सिक्किम	71.57	96.00	167.57
24	तमिलनाडु	0.00	4305.20	4305.20
25	तेलंगाना	0.00	5174.76	5174.76
26	त्रिपुरा	45.20	208.00	253.20
27	उत्तर प्रदेश	48.57	12720.69	12769.26
28	उत्तराखंड	41.60	1205.37	1246.97
29	पश्चिम बंगाल	0.00	3488.00	3488.00
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.32	0.00	6.32
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
32	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	48.00	48.00
34	लद्दाख	0.00	144.00	144.00
35	लक्षद्वीप	19.33	144.00	163.33
36	पुडुचेरी	0.00	16.00	16.00
	कुल	**2010.6**	**84146.79**	**86157.4**

वित्तीय वर्ष 2022 - 23 (लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्यों**	**एनएडीसीपी**	**एलएचऔरडीसी**	**कुल एलएचऔरडीसीपी**
1	आंध्र प्रदेश	0.00	1376.05	1376.05
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00
3	असम	558.47	0	558.47
4	बिहार	0.00	895.66	895.66
5	छत्तीसगढ़	0.00	158.8	158.80
6	गोवा	0.00	0	0.00
7	गुजरात	0.00	0	0.00
8	हरियाणा	2754.15	0	2754.15
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	240	240.00
11	झारखंड	0.00	0	0.00
12	कर्नाटक	532.04	466.15	998.19
13	केरल	0.00	86.97	86.97
14	मध्य प्रदेश	0.00	352.73	352.73

15	महाराष्ट्र	0.00	0	0.00
16	मणिपुर	0.00	314.01	314.01
17	मेघालय	0.00	0	0.00
18	मिजोरम	0.00	116.66	116.66
19	नागालैंड	18.68	0	18.68
20	ओडिशा	0.00	0	0.00
21	पंजाब	0.00	0	0.00
22	राजस्थान	0.00	0	0.00
23	सिक्किम	13.05	219.52	232.57
24	तमिलनाडु	0.00	0	0.00
25	तेलंगाना	0.00	0	0.00
26	त्रिपुरा	0.00	0	0.00
27	उत्तर प्रदेश	1761.20	5578.64	7339.84
28	उत्तराखंड	0.00	535.1	535.10
29	पश्चिम बंगाल	670.00	0	670.00
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	80	80.00
31	चंडीगढ़	0.00	0	0.00
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0	0.00
33	दिल्ली	0.00	0	0.00
34	लद्दाख	0.00	0	0.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00
36	पुडुचेरी	0.00	48	48.00
	कुल	**6307.59**	**10468.29**	**16775.88**

वित्तीय वर्ष 2023-24 (लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**घटक**		**एनएडीसीपी**	**कुल**
		एएससीएडी	**ईएसवीएचडी**		
1	आंध्र प्रदेश	1294.22	2005.04	5235.00	**8534.26**
2	बिहार	266.48	0.00	0.00	**266.48**
3	छत्तीसगढ़	340.80	280.71	0.00	**621.51**
4	गोवा	0.00	5.80	74.35	**80.15**
5	गुजरात	1056.72	31.25	0.00	**1087.97**
6	हरियाणा	184.49	52.00	1115.79	**1352.28**
7	हिमाचल प्रदेश	64.75	0.00	0.00	**64.75**
8	झारखंड	0.00	0.00	0.00	**0.00**
9	कर्नाटक	2368.48	2442.68	2255.78	**7066.94**
10	केरल	282.39	86.52	227.60	**596.51**

11	मध्य प्रदेश	872.00	4017.02	0.00	**4889.02**
12	महाराष्ट्र	838.41	39.53	6354.88	**7232.82**
13	ओडिशा	318.10	0.00	0.00	**318.10**
14	पंजाब	0.00	0.00	0.00	**0.00**
15	राजस्थान	240.86	394.25	0.00	**635.11**
16	तमिलनाडु	343.54	300.97	0.00	**644.51**
17	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	**0.00**
18	उत्तर प्रदेश	8919.81	4715.08	5624.95	**19259.84**
19	उत्तराखंड	665.46	804.75	528.47	**1998.68**
20	पश्चिम बंगाल	701.28	1272.16	1665.56	**3639.00**
21	अरुणाचल प्रदेश	54.08	93.56	473.64	**621.28**
22	असम	247.46	1387.76	664.47	**2299.69**
23	मणिपुर	271.32	0.00	0.00	**271.32**
24	मेघालय	97.30	32.19	0.00	**129.49**
25	मिजोरम	146.80	106.94	9.04	**262.78**
26	नागालैंड	28.24	72.89	14.35	**115.48**
27	सिक्किम	143.22	29.12	78.73	**251.07**
28	त्रिपुरा	0.00	59.76	0.00	**59.76**
29	पुडुचेरी	11.48	0.00	0.00	**11.48**
30	दिल्ली	3.76	0.00	0.00	**3.76**
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	**0.00**
32	चंडीगढ़	1.46	0.00	1.31	**2.77**
33	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	**0.00**
34	जम्मू और कश्मीर	600.93	249.43	1035.06	**1885.42**
35	लद्दाख	37.40	7.83	15.04	**60.27**
36	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	कुल (क)	**20401.24**	**18487.24**	**25374.02**	**64262.50**

वित्तीय वर्ष 2024-25 (लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	एलएच और डीसीपी (क)	कुल एनएडीसीपी (एनएससी को) (ख)	कुल (क+ख)
1	मध्य प्रदेश	1227.82	0	1227.82
2	जम्मू और कश्मीर	249.43	0	249.43
3	मेघालय	80.48	0	80.48
4	त्रिपुरा	59.76	0	59.76
5	राजस्थान	1641.43	0	1641.43
6	उत्तर प्रदेश	3005.68	0	3005.68
7	हरियाणा	208.01	0	208.01
8	असम	740.61	0	740.61
9	केरल	86.52	0	86.52
10	छत्तीसगढ़	590.91	0	590.91
11	पश्चिम बंगाल	674.78	0	674.78
12	उत्तराखंड	99.1	0	99.1
	कुल (लाख में)	8664.53	0	8664.53

5. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष			
		2021-22	2022-2023	2023-2024	2024-25 (30.07.2024 तक)
घटक क#					
1	आंध्र प्रदेश	671.79	3335.23	3335.23	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	275.30	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	39.81	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	13693.19	0.00	574.05	0.00
8	हरियाणा	502.69	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	1214.33	862.85	250.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	7418.56	0.00	2430.87	0.00
11	झारखंड	0.00	410.79	125.00	0.00
12	कर्नाटक	3566.49	5405.39	2170.28	633.33
13	केरल	2569.78	48.23	1254.72	0.00
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	49.13	0.00
15	महाराष्ट्र	0.00	657.44	692.15	0.00
16	मणिपुर	901.89	0.00	0.00	0.00

17	मेघालय		810.91	1463.69	445.44	0.00
18	मिजोरम		0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड		200.00	194.71	0.00	0.00
20	ओडिशा		747.12	137.86	706.10	0.00
21	पुडुचेरी		39.47	0.00	25.00	0.00
22	पंजाब		3590.67	2233.88	2090.35	886.95
23	राजस्थान		2931.78	1076.85	3758.84	0.00
24	सिक्किम		637.20	482.78	950.42	0.00
25	तमिलनाडु		259.63	2963.99	3853.44	2104.61
26	तेलंगाना		0.00	930.73	151.56	0.00
27	त्रिपुरा		0.00	0.00	604.14	0.00
28	उत्तर प्रदेश		0.00	0.00	97.00	0.00
29	उत्तराखंड		147.94	784.27	650.00	759.95
30	पश्चिम बंगाल		71.47	0.00	0.00	0.00
	कुल		**40290.00**	**20988.68**	**24213.72**	**4384.84**
घटक ख- सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी*						
1	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड	अनुदान और सब्सिडी	0.00	930.50	13766.28	0.00
		उधार	0.00	0.00	15731.00	0.00
		कुल (घटक ख)	**0.00**	**930.50**	**29497.28**	**0.00**
	कुल योग (घटक क+घटक ख)		**40290.00**	**21919.18**	**53711.00**	**4384.84**

घटक क के अंतर्गत स्कीम की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को निधियां जारी की गई थीं

* घटक क के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अनुमोदित परियोजनाओं के लिए एनडीडीबी को निधियां जारी की गई थीं।

6. डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) (अब पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) परियोजनाओं में शामिल हो गया

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	(करोड़ रुपए में)					
			कुल परियोजना लागत	संस्वीकृत ऋण	ऋण वितरण			
					2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 30.06.2024 तक
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी की परियोजनाएं)								
1	आंध्र प्रदेश	1	97.75	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	बिहार	1	113.27	78.80	0.00	25.32	39.71	4.41
3	गुजरात	5	1879.11	1469.59	35.61	552.81	293.63	70.99
4	हरियाणा	4	420.19	336.14	0.00	71.48	54.35	57.38
5	कर्नाटक	10	2479.90	1344.83	6.99	154.59	101.79	17.07
6	केरल	1	15.25	12.20	0.00	5.42	0.00	0.00

7	मध्य प्रदेश	1	338.00	270.40	0.00	101.05	132.56	0.00
8	महाराष्ट्र	2	488.33	290.66	0.00	22.62	71.95	0.00
9	पंजाब	4	318.41	249.77	45.04	50.27	16.40	0.00
10	राजस्थान	1	79.33	59.77	46.55	8.80	0.00	0.00
11	तेलंगाना	3	261.51	156.70	4.60	61.03	55.31	5.08
12	तमिलनाडु	3	239.16	191.32	0.00	19.61	7.48	0.00
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की परियोजनाएं								
1	तमिलनाडु	1	46.66	37.33		9.33		

7. राज्य डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन (एसडीसीएफपीओ) को सहायता

क्र.सं.	**राज्य**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (30.06.2024 की तिथि तक)**
		कुल ब्याज सबवेंशन संवितरित (@2% नियमित और 2% अतिरिक्त)	**कुल ब्याज सबवेंशन संवितरित (@2% नियमित और 2% अतिरिक्त)**	**कुल ब्याज सबवेंशन संवितरित (@2% नियमित और 2% अतिरिक्त)**	**कुल ब्याज सबवेंशन संवितरित (@2% नियमित और 2% अतिरिक्त)**
1	आंध्र प्रदेश	3.36	2.31	2.51	0.00
2	असम	0.00	0.01	0.01	0.00
3	बिहार	1.24	0.61	0.00	0.00
4	गुजरात	163.61	115.05	30.35	0.00
5	हरियाणा	0.43	1.09	0.00	0.00
6	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.14	0.00	0.00
7	झारखंड	0.00	0.14	0.00	0.00
8	कर्नाटक	10.14	1.11	3.48	0.00
9	मध्य प्रदेश	0.00	0.16	0.00	0.00
10	महाराष्ट्र	4.71	4.16	0.37	0.00
11	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
12	पंजाब	9.92	4.04	0.00	0.00
13	राजस्थान	3.32	1.80	0.00	0.00
14	तमिलनाडु	4.14	0.95	0.90	0.00
15	तेलंगाना	0.25	0.00	0.00	0.00
16	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**201.12**	**131.57**	**37.62**	**0.00**

****